न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्री सत्यनारायण आरएएस

प्रकरण सं0 : 18/2020

अनवान :

1. रामकिशन पुत्र चन्दुराम जाति ब्राह्मण निवासी भिरानी त0 भादरा।

:– वादी

ब ना म

1. सरला पत्नी राजेन्द्र प्रसाद जाति ब्राह्मण निवासी भिरानी त0 भादरा।
2. गौरव पुत्र राजेन्द्र प्रसाद जाति ब्राह्मण निवासी भिरानी त0 भादरा।
3. प्रियंका पुत्री राजेन्द्र प्रसाद जाति ब्राह्मण निवासी भिरानी त0 भादरा।
4. प्रीति पुत्री राजेन्द्र प्रसाद जाति ब्राह्मण निवासी भिरानी त0 भादरा।

:– प्रतिवादीगण

आज यह वाद मुझ सत्यनारायण सहायक कलक्टर फास्ट–ट्रैक भादरा के समक्ष वकील वादीगण श्री कपूरचंद शर्मा एवं वकील प्रतिवादीगण श्री सुरेन्द्र बैनिवाल की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर एवं वाद वादीगण साबित होने के कारण मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा भिरानी [illegible] सं0 91/83 के पत्थर न0 0 के मु0न0 39 के किला न0 2, मु0न0 286 के किला न0 3 ता 9, 12 ता 15 की कुल 2.6290है0 व चक 8 जेएसएल के खाता सं 34/37 के मु0न0 147 के किला न0 11 ता 13, 18 ता 23 मु0न0 148 के किला न0 1 ता 3, 8 ता 13, 18 ता 20, 22, 23 की कुल 5.8190है0 में वादी रामकिशन 5/[illegible] प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 4 सयुंक्त रूप से 1/7 हिस्सा के खातेदार राजस्व [illegible] उक्त दोनों खातों **में** प्रतिवादीगण सं 1 ता 4 का नाम कलमजन [illegible] उक्त दोनों खातों में वादी रामकिशन 6/7–6/7 हिस्सा का खातेदार काश्तकार [illegible] किया जाता है। व यदि कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त [illegible] उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 10-03-2021 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रैक) भादरा
(सत्यनारायण)
R.A.S.
सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रैक)
भादरा, जिला हनुमानगढ़

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2021.04.01 09:22:22 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्री सत्यनारायण आरएएस

प्रकरण सं0 : 18/2020

1. रामकिशन पुत्र चन्दुराम जाति ब्राहम्ण निवासी भिरानी त0 भादरा।

:- **वादी**

ब ना म

1. सरला पत्नी राजेन्द्र प्रसाद जाति ब्राहम्ण निवासी भिरानी त0 भादरा।
2. गौरव पुत्र राजेन्द्र प्रसाद जाति ब्राहम्ण निवासी भिरानी त0 भादरा।
3. प्रियंका पुत्री राजेन्द्र प्रसाद जाति ब्राहम्ण निवासी भिरानी त0 भादरा।
4. प्रीति पुत्री राजेन्द्र प्रसाद जाति ब्राहम्ण निवासी भिरानी त0 भादरा।

:- **प्रतिवादीगण**

दावा बाबत : घोषणात्मक एवं रिकार्ड दुरूस्ती
अन्तर्गत धारा 88 राज0काश्त0अधि 1955

उपस्थिति : वकील श्री कपूरचन्द शर्मा : वादी
वकील श्री सुरेन्द्र बैनीवाल : **प्रतिवादीगण**

निर्णय **दिनांक :** 10.03.2021

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि रोही मौजा भिरानी के खाता सं0 91/83 के पत्थर न0 0 के मु0न0 39 के किला न0 2, मु0न0 286 के किला न0 3 ता 9, 12 ता 15 की कुल 2.6290है0 व चक 8 जेएसएल के खाता सं 34/37 के मु0न0 147 के किला न0 11 ता 13, 18 ता 23 मु0न0 148 के किला न0 1 ता 3, 8 ता 13, 18 ता 20, 22, 23 की कुल 5.8190है0 में वादी रामकिशन 5/7 हिस्सा व प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 4 सयुंक्त रूप से 1/7 हिस्सा के खातेदार राजस्व रिकार्ड में दर्ज है जो पहले वादी के पिता चन्दुराम की खातेदारी हुआ करती थी।

वादी एंव प्रतिवादगण हिन्दू है तथा हिन्दू विधि से शासित होते है। वादभूमि वादी की दादालाई पैतृक कृषि भूमि है। उक्त वाद भूमि को लेकर पक्षकारान के मध्य पारिवारिक समझौता 27.08.2019 को हुआ है जिसके अनुसार वाद भूमि में वादी के पिता व वहिनों ने अपना हक हिस्सा वादी रामकिशन के पक्ष में त्याग कर शुन्य कर लिया था जिससे वादी रामकिशन उक्त दोनों खातों में 5/7-5/7 हिस्सा का खातेदार काश्तकार हो गया जवकि प्रतिवादी गण सं 1 ता 4 का नाम अभी भी राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। उन्हे मुताविक पारिवारिक राजीनामा अपना हक हिस्सा वादी के पक्ष में त्याग करने को कहा तो वो आज कल करते रहे लिहाजा यही बिनाए मुखास्मत है।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर [illegible] कर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के [illegible] एवं प्रतिवादी सं 1 ता 3 की ओर से आपसी सहमति से राजीनामा पेश किया [illegible] वाद की सभी मद संख्या को स्वीकार करते हुए अपने पहचान पत्रों के साथ राजीनामा प्रस्तुत किया। प्रतिवादी सं 04 की तामिल करवा दी गई लेकिन [illegible]जिर अदालत नही होने पर एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। उभयपक्षकारों द्वारा राजीनामा पेश किये जाने पर [illegible]की कोई आवश्यकता नही है। अतः पत्रावली में साक्ष्य करवाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2021.04.01 09:42:22 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) भादरा

Scanned with CamScanner

साक्ष्य वादी में पीडब्ल्यु 1 रामकिशन के बयान करवाये गये। दस्तावेजी साक्ष्य में सत्यप्रतिलिपि जमाबंदी रोही भिरानी संवत 2074–77 प्रदर्श 1 जमाबदी 8 जेएसएल सवंत 2071–74 प्रदर्श 2 दस्तबदारी प्रदर्श 3 प्रदर्शित करवाये तथा अन्य साक्ष्यवादी में पीडब्ल्यू 2 जगदीश पुत्र चन्दूराम जाति ब्राहम्ण व पीडब्ल्यू 3 संदीप पुत्र जगदीश जाति जाट के द्वारा पक्षकारान का पारिवारिक समझौते को स्वीकार करते हुए शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने वाद के तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया कि वाद भूमि वादी की दादालाई पैतृक कृषि भूमि है पक्षकारान का राजीनामा हो चुका है उक्त वाद भूमि को लेकर पक्षकारान के मध्य पारिवारिक समझौता 27.08.2019 को हुआ है जिसके अनुसार वाद भूमि में वादी के पिता व बहिनों ने अपना हक हिस्सा वादी रामकिशन के पक्ष में त्याग कर शुन्य कर लिया था जिससे वादी रामकिशन उक्त दोनों खातों में 5/7–5/7 हिस्सा का खातेदार काश्तकार हो गया जबकि प्रतिवादी गण सं 1 ता 4 का नाम अभी भी राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। अतः मुताबिक पारिवारिक समझौते व प्रस्तुत राजीनामा के अनुसार वादी उक्त दोनों खातो की वाद भूमि में 6/7–6/7 हिस्सा का खातेदार काश्तकार है । इस प्रकार मुताबिक राजीनामा वाद वादी साबित होने पर डिक्री किये जाने हेतु निवेदन किया।

हमारे द्वारा विद्वान अभिभाषक की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेज का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया। हस्तगत प्रकरण में वादी ने ग्राम भिरानी के राजस्व रिकार्ड में दर्ज भूमि में अपने हकों की घोषणा करवाने हेतु वाद पेश किया है। वादी ने दावा की पुष्टि में जो दस्तावेजी साक्ष्य में सत्यप्रतिलिपि जमाबंदी रोही भिरानी सवंत 2074–77 प्रदर्श 1 जमाबदी 8 जेएसएल सवंत 2071–74 प्रदर्श 2 दस्तबदारी प्रदर्श 3 प्रदर्शित करवाये व वादी के पिता, बहिनों व वादी के भाई राजेन्द्र प्रसाद के विधिक वारिसान प्रतिवादी सं 1 ता 4 के मध्य उनके नाम दर्ज भूमि की बाबत परिवार मे सुख शान्ति बनाये रखन हेतु मौखिक पारिवारिक समझौता दिनांक 27.08.2019 को हो गया था । जिसके चलते वादी रामकिशन के पिता व तीनों बहनों ने अपने हक हिस्से की भूमि को वादी रामकिशन के पक्ष में त्याग कर अपना हक हिस्सा शुन्य कर लिया है तथा प्रतिवादीगण ने भी मुताबिक पारिवारिक समझौते के अपना हक हिस्सा वादी रामकिशन के पक्ष में त्याग करने के लिए हाजिर अदालत आकर राजीनामा पेश किया जिसमें अपना हक हिस्सा वादी के पक्ष में त्याग कर शुन्य कर लिया है। इस प्रकार वाद वादीगण मुताबिक राजीनामा व पैतृक सम्पति के आधार पर स्वीकार योग्य होने पर स्वीकृत किया जाता है।

Signature Not Verified

Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2021.04.01 09:22:22 IST
Reason: SelfAttested

क्रियात्मक आदेश

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक)भादरा

अत : वाद वादीगण [illegible] मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है रोही मौजा भिरानी [illegible] खाता सं0 91/83 के पत्थर न0 0 के मु0न0 39 के किला न0 2, मु0न0 286 के किला न0 3 ता 9, 12 ता 15 की कुल 2.6290है0 व चक 8 जेएसएल के खाता सं 34/37 के मु0न0 147 के किला न0 11 ता 13, 18 ता 23 मु0न0 148 के किला न0 1 ता 3, 8 ता 13, 18 ता 20, 22, 23 की कुल 5.8190है0 में वादी रामकिशन 5/7 हिस्सा व प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 4

Scanned with CamScanner

सयुंक्त रूप से 1/7 हिस्सा के खातेदार राजस्व रिकार्ड में दर्ज है उक्त दोनों खातों में प्रतिवादीगण सं 1 ता 4 का नाम कलमजन किया जाकर वादी उक्त दोनों खातों में रामकिशन 6/7–6/7 हिस्सा का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। व यदि कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त ही उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करे। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 10-03-2021 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सत्यनारायण)
सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक)भादरा
R.A.S.
सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रैक)
भादरा, जिला हनुमानगढ़

सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट ट्रैक) भादरा (हनुमानगढ़)

Signature Not Verified

Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2021.04.01 09:22:22 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner